E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–20/2025...7254 पटना, दिनांक :– 02/12/2025

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 5749 दिनांक 26.08.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री पप्पु कुमार (Emp. ID No.- SKN14275), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम–8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

बंदोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 523 दिनांक 18.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री पप्पु कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN14275) दिनांक 16.08.2025 से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं एवं उनके हड़ताल पर जाने की सूचना भेजी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 5293 दिनांक 23.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि इनके संघ द्वारा अनुरोध किए गए पाँच सूत्री मांग की पूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप ये हड़ताल में शामिल थे। यह भी अंकित किया गया है कि राजस्व महाअभियान के लिए इनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था, परन्तु मांग के नहीं पूरा होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे महाअभियान का विरोध किया गया। साथ ही अन्य तथ्य देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विदित हो कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें इनकी भी भूमिका निर्धारित की गयी थी, जिसे इनके द्वारा स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है। उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही अनुचित मांगो यथा सेवा नियमित करने, धारित पद को सहायक अभियंता (AE)/कनीय अभियंता, असैनिक (JE)/उच्चवर्गीय लिपिक(UDC) के नियमित नियुक्ति में 05 अंक की अधिमानता तदनुसार समतुल्य वेतन देने के साथ ESIC आदि को लेकर हड़ताल पर ये चले गये थे।

उपरोक्त मांगो के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की गयी है कि इनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के तहत प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पदों का सृजन संविदा आधारित है एवं योजना अवधि तक के लिए ही किया गया है। नियोजन हेतु इनके द्वारा Terms of Assignment हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी कंडिका–1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका–5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है। एतद् संबंधी घोषणा इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिसमें यह भी अंकित है कि "Terms of Assignment की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया हूँ और मैं Terms of Assignment में लिखी गयी सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूँ"। साथ ही साथ निदेशालय स्तर पर संधारित वेबसाईट पर अपलोडेड MIS के आधार पर इनके कार्यो का आकलन किया गया एवं पाया गया कि इनका कार्य भी संतोषजनक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमो के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानापन बरतने के कारण अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

लगाए गए आरोप के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि हड़ताल में शामिल होना इनकी भूल थी। अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की गयी है एवं भविष्य में किसी भी हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का Self Affidavit सुनवाई में दिया गया है।

संविदा समाप्ति हेतु लगाए गए आरोप, अपीलार्थी का कथन एवं निदेशालय मंतव्य की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि इनके द्वारा अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की गयी है एवं Self Affidavit ये दे रहे हैं। इस परिपेक्ष्य में इन्हें एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निर्गत आदेश संख्या–5749 दिनांक–26.08.2025 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए बंदोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से इनको संविदा में पुर्ननियोजित किया जाता है।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–20/2025 7254 पटना, दिनांक :– 02/12/2025

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–20/2025 7254 **पटना, दिनांक** :– 02/12/2025

प्रतिलिपि :– श्री पप्पु कुमार (Emp. ID No.- SKN14275), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

01/12/25

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–20/2025 7254 **पटना, दिनांक** :– 02/12/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/25

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–20 / 2025...7254..... **पटना, दिनांक** :– 02/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 01/12/25

सरकार के उप सचिव

भू–अभिलेख एवं परिमाप